न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1334/2026

महिला थाना कांड सं0–76/2025 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–64, 79, 351(2), 3(5) बी.एन.एस.

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

रामाशंकर साह व अन्य..... आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री विरेन्द्र कुमार पाठक, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

07.07.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. रामाशंकर साह 2. तारामुनी देवी की ओर से सिवान महिला थाना कांड सं0–76/2025, अंतर्गत धारा–64, 79, 351(2), 3(5) बी.एन.एस. के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचिका रीता कुमारी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचिका की शादी दिनांक–20.04.2024 को ओमप्रकाश साह के साथ हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार संपन्न हुई थी लेकिन शादी से पहले से ही सूचिका का प्रेम प्रसंग मनीष कुमार पिता–रामाशंकर साह, सा0–रघुनाथनपुर, थाना–रघुनाथपुर जिला–सिवान के साथ था। मनीष कुमार सूचिका को शादी का लालच देकर इधर–उधर घुमाया करता था तथा शारीरिक संबंध बनाता था, मनीष कुमार ने सूचिका के साथ पहली बार दिनांक–14.11.2023 को समय 11:00 बजे दिन में महाराजगंज के लल्ली होटल में रूम नं0–104 में शारीरिक संबंध बनाया एवं उसके बाद से उसने दिनांक 17.02.2025 तक में कई बार शारीरिक संबंध रूम नं0–104 में सूचिका के साथ बनाया। जब सूचिका मनीष कुमार की मॉ से यह सब घटना सुनाई तो तारामुनी देवी ने सूचिका को जान से मारने एवं पेट्रॉल डालकर जलाने की धमकी देने लगी एवं मनीष कुमार ने सूचिका के ससूराल में सूचिका के पति ओमप्रकाश साह से सूचिका और अपने प्रेम प्रसंग की बात बता दिया तथा सूचिका को फोन करके सूचिका के ससूराल एवं मोहल्ले में वीडियो एवं फोटोग्राफ वायरल कर देने एवं जान से मारने की धमकी देने लगा। मनीष कुमार सूचिका के पति के रिश्तेदार मामा का लड़का है जिसके कारण शादी के बाद भी मनीष एवं उसके मॉ से कई बार बात हुई थी लेकिन अब मनीष कुमार ने सूचिका के पति को सारी बात बताया, तब से सूचिका का जीवन कष्टमय तथ ससूराल से संबंध खराब हो गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया वह निर्दोष हैं उसने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें गंदी ग्रामीण राजनीति के तहत झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष

<u>लगातार</u>
<u>07.07.2026</u>

दाखिल नहीं किया गया है।आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से आगे यह निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी अन्य आपराधिक मुकद्मा दर्ज नहीं हैं। अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि सूचिका द्वारा झूठा मुकद्मा दर्ज कराया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने तथा उसके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया और निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचिका को जान से मारने एवं पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी देने का अभियोग है, जो कि एक गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद सिवान महिला थाना कांड सं0–76/2025, अंतर्गत धारा–64, 79, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, सह अभियुक्त मनीष कुमार के द्वारा सूचिका को शादी का लालच देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने तथा शादी से इंकार करने और सूचिका के द्वारा इसकी सूचना आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. रामाशंकर साह 2. तारामुनी देवी को दिये जाने पर उनके द्वारा सूचिका को जान से मारने एवं पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी देने के अपराध के लिए संस्थित किया गया है। अनुसंधान के दौरान सूचिका ने अपने पुनः बयान में प्राथमिकी की घटना के समर्थन में बयान दिया है (कांड दैनिकी की कंडिका 03 में वर्णित है)। अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य के क्रम में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है(कांड दैनिकी की कंडिका 4,5 एवं 6 में वर्णित है)। सूचिका/पीड़िता ने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दिये गये अपने बयान में भी प्राथमिकी की घटना का समर्थन किया है। प्रस्तुत आपराधिक वाद के संदर्भ में अभी अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. रामाशंकर साह 2. तारामुनी देवी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम् सिवान।